20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

150

न्यायालय में श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी – 5964/2018/शहडोल/भू. रा.

1. बाबूलाल पिता बद्री प्रसाद चमार निवासी ग्राम चचाई
2. रोहणी प्रसाद पिता ब्रदी प्रसाद चमार निवासी ग्राम चचाई
3. रामशरण पिता कलिया चमार निवासी ग्राम चचाई
4. देवशरण पिता कलिया चमार निवासी ग्राम चचाई

सभी का थाना देवलोंद तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)

.... अपीलार्थी

श्री रामवदन पाण्डेय (अभिभाषक) द्वारा आज दि. 01-10-2018 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 17-10-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-10-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. मंगल पिता मेल्ला चमार निवासी ग्राम चचाई
2. रमाशंकर पिता भूरा चमार निवासी ग्राम चचाई
3. सौखी लाल पिता हीरालाल चमार निवासी ग्राम चचाई
4. म.प्र. शासन हल्का पटवारी चचाई तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)

सभी का थाना देवलौंद तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)

..... रेस्पोंडेंटगण

(रामवदन पाण्डेय)
01-10-18

//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2
भाग–अ

निगरानी–5964 / 2018 / शहडोल / भू0रा0.

बाबूलाल व अन्य आदि विरूद्ध मंगल व अन्य आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15 –01–19	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामबदन पाण्डे एवं श्री कुवंर सिंह कुशवाह उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर दि० 07/1/19 को सुना गया।	
	2/ यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र. क्र. 114/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10–09–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।	
15/1/19	3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के द्वारा ग्राम चचाई की भूमि आ.ख.नं. 162/0.26 एकड़ 163 रकबा 0.18 एकड़ भूमि का वारिसाना नामांतरण अनावेदकगण के पक्ष में स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शहडोल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28–10–2002 से तहसील न्यायालय के वारिसाना नामांतरण आदेश को उचित मानते हुये अपील निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28–10–2002 के विरूद्ध अपर आयुक्त शहडोल के समक्ष आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील मय अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन सहित 15 वर्ष पश्चात्	

प्रस्तुत की गई, जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 10–09–2018 से अपील मय अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को समय बाह्य (Time Barred) मानते हुये अपील आवेदन को निरस्त किया है ।

4/ अवधि विधान की धारा 5 के प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि धारा 5 के आवेदन में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का सकारण स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक होता है। आवेदकगण का तर्क है कि उन्हें आदेश जानकारी नहीं थी। 15 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी न हो, यह सम्भव नहीं है।

5/ आवेदकगण के द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में न तो अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत किया और न ही इस न्यायालय में औचित्य (Justification) प्रस्तुत किया । अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 10–09–2018 स्थिर रखा जाता है। फलस्वरूप यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की ज़ाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर.के. जैन)
सदस्य